

7



C. No. 58
Deficit C.A.
No. 101 -

न्यायालय द्वारा स्व मंजूर ग्वालियर R 262-III/98
199-44

रिक्वीजन कृ.

लगनाथ पिता श्री काशीरामजी चमार उम्र लगभग 40 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी नारिया बुजुर्ग तहसील गरीठ
विस्द - प्रार्थी

हीरालाल पिता श्री उदैरामजी मीणा वयस्क निवासी
नारिया बुजुर्ग तहसील गरीठ जिला मन्डसौर

- विपक्षी

रिक्वीजन अन्तर्गत धारा 40 म.प्र.म.रा.सं. विस्द
आदेश न्यायालय कमिश्नर महोदय उज्जैन जी अपील
क्रमांक 2081.46-49 में दिनांक 3 नवम्बर 49 को
पारित किया गया ।

37/11/98

37/11/98

380262
10/98

09.02.98
09.02.98

11/2

R 262-~~33~~ 98 मंदसौर
रोगनाथ / हीठवा

7.2.2017

आवेदक की ओर से श्री एस. पी. एच. पी. चण्ड आयोगिक एवं आवेदक की ओर से श्री एस. के. अग्रणी आयोगिक उपस्थित। इनके उक्त प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में आयोगिक का अवरोधक किया गया। आयुक्त द्वारा इस आधार पर आदेश जारी किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जैसे उक्त कक्षा दर्ज करने का आदेश दिया गया है, है

अग्रणी
7.2.17

जबकि लॉट के अर्जित कक्षा दर्ज करने का आवेदन पर शक्य नहीं होता है, पालू उक्त उक्त प्रस्तुत विवेचना नहीं की गई है। अतः, आयुक्त का आदेश दिनांक 3.11.97 निरस्त किया जाकर प्रकरण सुवर्धन पर उभय पक्ष को सुनकर निराकरण किया जाने हेतु प्रभावित किया जाता है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष